राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित एनिकट निर्माण /18–19/13294-302 दिनांक : 29.6.2020

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
डूंगरपुर ।

विषय : एनिकट निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ : पंचायत समिति डूंगरपुर जिला डूंगरपुर से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 40341–16 दि. 01.11.2019 द्वारा एनिकट निर्माण कार्य मझोला की जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम मे विकास अधिकारी, पं.स. डूंगरपुर जिला डूंगरपुर का पत्र कमांक 1025 दिनांक 09.06.2020 द्वारा पंचायत पुनर्गठन से पूर्व उक्त गांव सतीरामपुर में कार्यकारी ग्राम पंचायत सतीरामपुर थी परन्तु पंचायत पुनर्गठन के पश्चात नवसृजित ग्राम पंचायत मझोला होने के कारण निम्न कार्य की नवसृजित कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत ग्राम मझोला की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना प्राप्त होने से निम्नलिखित कार्य की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या–7 अनुसार राशि रू. 10.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत मझोला (राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किश्त देय राशि
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एनिकट निर्माण कार्य –बोडा डूंगरा ग्राम मझोला ग्राम पंचायत मझोला	डूंगरपुर	40341–16 01.11.2019	10.00	322/02.12.19	10.00	8.00

उपरोक्त कार्य पर स्वीकृत राशि 10.00 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त की राशि कॉलम संख्या–8 अनुसार रू. 8.00 लाख की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. सं. 8/2018–19 दिनांक 06.08.2018 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 600.00 लाख रू. में से उपलब्ध राशि से होगी। शेष राशि कार्य की प्रगति के आधार पर हस्तान्तरित की जायेगी। **कार्यो के संपादन मे प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शर्तो के साथ–साथ निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–**

1. **यदि स्वीकृत कार्य महानरेगा अथवा अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे एवं अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।**
2. कार्यो पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावें।
3. पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को स्वीकृत कार्यो में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रमीण कार्य निर्देशिका में दिए गए प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे एवं निर्देशिका में दिए गए निर्देशो के अनुरूप उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण– पत्र प्रस्तुत किए जावें।
4. राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
5. कार्यो का सम्पादन कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में गुणवत्तापूर्वक कराया जावें।
6. **उपयुक्त इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा राशि हस्तांतरण के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई है उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तांतरित नहीं कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तांतरित करेगें। तत्पश्चात नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।**

(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

कृ.पृ.उ.

29.6.2020

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित एनिकट निर्माण /18–19/13294-302 दिनांक :

प्रतिलिपी :–सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

1. विशिष्ठ सचिव, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वी. सं. 8/2018–19 दिनांक 06.08.2018 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 600.00 लाख रू. में से उपलब्ध राशि से उपरोक्त कार्य हेतु कॉलम संख्या–8 अनुसार प्रथम किश्त की राशि 08.00 लाख उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, डूंगरपुर को हस्तांतरित करावें।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर